न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—381/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. गुरदेव सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन रण सिंह वाला रोड जखडवाला जिला फरिदकोट पंजाब
2. नाहर सिंह उर्फ चतर सिंह } पि. चन्द सिंह
3. नक्षत्र सिंह } पि. चन्द सिंह
4. बखतावर सिंह } पि. चन्द सिंह
5. गुरमेल सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र चन्द सिंह
6. गुरनाम सिंह } पि. जगर सिंह
7. गुरचरण सिंह } पि. जगर सिंह
8. भान कौर पुत्री केहर सिंह पत्नि जोगेन्द्र सिंह

(2 से 8) जाति जटसिख सा. पथराला तह. व जिला बठिण्डा पंजाब — वादीगण

बनाम

1 स्वराज सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र चन्द सिंह
2 छिन्द्रपाल कौर पत्नि अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
3 सुखदीप सिंह } पि. अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
4 रणजीत सिंह } पि. अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
5 परमजीत कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
6 हाकम सिंह } पि. बन्ता सिंह
7 तेजा सिंह } पि. बन्ता सिंह
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

जाति जटसिख सा.पथराला तह. व जिला बठिण्डा —प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित समस्त पक्षकार सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के वंशज है। सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के दो लडके पंजाब सिंह व केहर सिह थे,जिनमें से पंजाब सिंह की मृत्यु होन पश्चात उसके नजदीकी वारिस उसके सगे भाई केहर सिंह के वंशज ही है। केहर सिंह भी फौत हो गये है। पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के नाम चक 3 ए.एम.पी.खाता स. 27/22 खाता गुरचरण सिह वगैरा ज. सं. 2068—71 चक 4 एन.के.आर.(ए) खाता 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.स. 2070—73 चक 6 पी.टी.पी.खाता सं. 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.स. 2068—71 में सांझा खातों में आराजी दर्ज है। उक्त चकों के उक्त खातों की नकल जमाबन्दीयां संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया है जिसके नजदीकी वारिस उसके सगे भाई केहर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के वंशज ही है मृतक पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी के बन्ता सिंह, जगर सिंह, चन्द सिंह पि. केहर सिंह व भान कौर पुत्री केहर सिंह ही ब.हि.ब.के हकदार है। केहर सिंह की पत्नि अतर कौर फौत हो गई है व उसका एक लडका गुरदयाल सिंह भी अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया है। इसलिए मृतक पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी में 3/4 हिस्सा का हक ब.हि.ब.के हिसाब से बन्ता सिह,जगर सिंह,चन्द सिंह पि. केहर सिंह व 1 /4 हिस्सा का हक भान कौर पुत्री केहर सिंह का बनता है जिनमें जगर सिंह व चन्द सिंह फौत हो गये है। मृतक चन्द सिंह के वारिस वादी सं. 1 ता 5 व प्रति सं. 1 व अंग्रेज सिंह ही है। मृतक चन्द सिंह के 1/4 हिस्सा में 4/5 हिस्सा का हक ब.हि.ब. के हिसाब से वादी सं. 1 ता 4 का व 1/5 हिस्सा का हक वादी सं. 5 व प्रति सं. 1 व अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह का बनता है। अंग्रेज सिह पुत्र कौर सिह फौत हो गये है। जिसके वारिस प्रति स. 2 ता 5 ही है। अतः मृतक अंग्रेज सिह पुत्र कौर सिह के हिस्सा की आराजी के प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ही ब.हि.ब. के हकदार है। जगर सिंह पुत्र केहर सिंह भी फौत हो गये है जिसके वारिस वादी सं. 6 व 7 ही है, क्योंकि उसकी पत्नि गुलाब कौर फौत हो गई है। इसलिए पंजाब सिंह के नाम दर्ज आराजी में से 1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 6 व 7 का ब.हि.ब. के हिसाब से बनता है व 1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 8 भान कौर पुत्री केहर सिंह का बनता है व 1/4 हिस्सा का हक बन्ता सिंह पुत्र केहर सिंह का बनता है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री हम वादीगण प्राप्त करना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लो तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तलबी सम्मन व अखबार से करवाये जाने पर उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बख्तावर सिंह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ प्रस्तुत चक 3 एएमपी व चक 4 एनकेआर–ए चक 6 पीटीपी की जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 3 व मृत्यु प्रमाण पत्र , वारिसनामा 4 ता 18 प्रदर्श करवाये गये। पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी चक 3 एएमपी खाता संख्या 27/22 खाता गुरचरन सिंह वगैरा, चक 4 एनकेआर (ए) खाता संख्या 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा, चक 6 पीटीपी खाता संख्या 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा की प्रमाणित प्रतियॅा पेश की है जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यो को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। वादीगण द्वारा फार्म नं. 3 के साथ जयमल सिंह पुत्र शोभासिंह का वारिसनामा पेश किया व हाकम सिंह उर्फ जगमेर सिंह पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी चक 3 एएमपी खाता संख्या 27/22 खाता गुरचरन सिह वगैरा चक नं. 4 एनकेआर (ए) खाता संख्या 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा चक नं. 6 पीटीपी खाता संख्या 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वाद पत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा चक नं. 3 एएमपी खाता संख्या 27/22 खाता गुरचरन सिंह वगैरा प्रदर्श–1, चक नं. 4 एनकेआर (ए) खाता संख्या 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा प्रदर्श–2, चक नं. 6 पीटीपी खाता संख्या 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा प्रदर्श–5 की प्रमाणित जमाबन्दियों की प्रतियॉ पेश की है।

वादपत्र के संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये । प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित है कि पंजाबसिंह लाऔलाद फौत हुआ जिसका साक्ष्य मृत्यु प्रमाण–पत्र पंजाबसिंह पुत्र सुन्दरसिंह प्रदर्श–8 है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत पंजाबसिंह के निर्वसियती फौत होने के उपरान्त प्रथम अनुसूचि का कोई भी उतराधिकारी जीवित न होने एवं अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानान्तर्गत द्वितीय अनुसूचि के उतराधिकारी के रूप में एकमात्र उतराधिकारी केहरसिंह (भाई) होना प्रकट होता है। केहरसिंह की फौतगी के पश्चात केहरसिंह के समस्त वारिसान मुताबिक प्रमाण–पत्र जगरसिंह पुत्र केहररसिंह का वारिसनामा प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र अंग्रेजसिंह पुत्र कौरसिंह प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण–पत्र नसीबकौर पत्नी कौरसिंह, प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण–पत्र केहरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण–पत्र जगरसिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–9,, मृत्यु प्रमाण–पत्र चन्दसिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–10, मृत्य प्रमाण–पत्र अतरकौर पत्नी केहरसिंह प्रदर्श–11, मृत्यु प्रमाण–पत्र बन्तासिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–12,मृत्यु प्रमाण–पत्र गुरदियालसिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–13,वारिसनामा पंजाबसिंह पुत्र सुन्दरसिंह प्रदर्श–14,वारिसनामा केहरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह प्रदर्श–15, वारिसनामा गुरदियालसिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–16,वारिसनामा चन्दसिंह पुत्र केहरसिंह प्रदर्श–17, समस्त वारिसान का प्रमाण–पत्र प्रदर्श–18, करवाये गये तथा नम्बरदार बलदेवसिंह गांव पथराला ब्लॉक संगत जिला बठिण्डा पंजाब से जारी स्पेशल–1 दिनांक 28.6.2019 प्रदर्श–19 के प्रमाण–पत्र में यह अंकित किया है कि पंजाबसिंह व केहरसिंह पिसरान सुन्दरसिंह उर्फ मुन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी पथराला तहसील व जिला बठिण्डा सगे भाई थे । इसके अलावा इनके अन्य कोई भाई व बहिन नहीं थी। पंजाब सिंह अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया था। मृतक पंजाब सिंह के नजदीकी वारिस उसका सगा भाई केहरसिंह ही था। केहरसिंह के अलावा इसका कोई अन्य नजदीकी वारिस नहीं था। केहरसिंह भी फौत हो गया। मृतक केहरसिंह के वारिस अतरकौर (पत्नी फौत), गुरदयाल सिंह (पुत्र),बन्तासिंह (पुत्र फौत),जगरसिंह (पुत्र), चन्दसिंह (पुत्र),व भानकौर (पुत्री) ही है। भानकौर के अलावा केहरसिंह के सभी वारिसान फौत हो चुके है,जिनमें गुरदयालसिंह अविवाहित ला औलाद फौत हुआ है। अन्य सभी के वारिसनामें प्रस्तुत किये गये है जो उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये है,जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाब दावा पेश किये गये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 3 ए.एम.पी. खाता सं. 27/22 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 व चक नं. 4 एन.के.आर. (ए) खाता सं. 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 व चक नं. 6 पी. टी.पी. खाता सं. 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 में पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 1 ता 4 ब.हि.ब. 4/5 हिस्सा व वादी सं. 5 व प्रति सं. 1 व अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह ब.हि.ब. 1/5 दर 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह के हिस्सा की आराजी के प्रति सं. 2 ता 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है व पंजाब सिंह के नाम दर्ज उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 6 व 7 का है व 1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 8 का है व 1/4

हिस्सा का हक बन्ता सिंह पुत्र केहर सिंह का है। अतः राजस्व रिकार्ड में पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादपत्र में दर्ज आराजी उक्तानुसार वादीगण व प्रति सं. 1 ता 5 व बन्ता सिंह पुत्र केहर सिंह के नाम दर्ज की जावे व इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रति सं. 1 ता 5 व बन्ता सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहने करेंगे। बैंक रहन होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–381/2018

1. गुरदेव सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन रण सिंह वाला रोड जखडवाला जिला फरिदकोट पंजाब
2. नाहर सिंह उर्फ चतर सिंह } पि. चन्द सिंह
3. नक्षत्र सिंह
4. बखतावर सिंह
5. गुरमेल सिंह पुत्र कौर सिंह पुत्र चन्द सिंह
6. गुरनाम सिंह } पि. जगर सिंह
7. गुरचरण सिंह
8. भान कौर पुत्री केहर सिंह पत्नि जोगेन्द्र सिंह

} जाति जटसिख सा. पथराला तह. व जिला बठिण्डा पंजाब

–वादीगण

बनाम

1 स्वराज सिंह पुत्र कौर सिह पुत्र चन्द सिंह
2 छिन्द्रपाल कौर पत्नि अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
3 सुखदीप सिंह } पि. अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
4 रणजीत सिंह
5 परमजीत कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह
6 हाकम सिंह } पि. बन्ता सिंह
7 तेजा सिंह
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

} जाति जटसिख सा.पथराला तह. व जिला बठिण्डा

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 3 ए.एम.पी. खाता सं. 27/22 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 व चक नं. 4 एन.के.आर. (ए) खाता सं. 9/14 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 व चक नं. 6 पी.टी.पी. खाता सं. 18/18 खाता गुरचरण सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 में पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 1 ता 4 ब.हि.ब. 4/5 हिस्सा व वादी सं. 5 व प्रति सं. 1 व अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह ब.हि.ब. 1/5 दर 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अंग्रेज सिंह पुत्र कौर सिंह के हिस्सा की आराजी के प्रति सं. 2 ता 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है व पंजाब सिंह के नाम दर्ज उक्त आराजी में

1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 6 व 7 का है व 1/4 हिस्सा का हक वादी सं. 8 का है व 1/4 हिस्सा का हक बन्ता सिंह पुत्र केहर सिंह का है। अतः राजस्व रिकार्ड में पंजाब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह उर्फ मुन्द्र सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादपत्र में दर्ज आराजी उक्तानुसार वादीगण व प्रति सं. 1 ता 5 व बन्ता सिंह पुत्र केहर सिंह के नाम दर्ज की जावे व इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रति सं. 1 ता 5 व बन्ता सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। नियमानुसार शुल्क जमा होने पर नकल पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्............निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया